भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2649

सोमवार, 12 मार्च 2018/21 फाल्गुन, 1939 (शक)

न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन

2649. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ कंपनियों/उद्योगों में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम वेतन/ मजदूरी नहीं दी जा रही है जो कि संबंधित कानून का उल्लंघन है; और

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान दर्ज की गई उक्त घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा दोषी कंपनियों के खिलाफ की-गई-कार्रवाई का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के अधिकारी विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत नियमित निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कामगारों को न्यनूतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत यथाविहित कार्य की प्रकृति के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य के प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इन तंत्रों के अधिकारियों की नियुक्ति निरीक्षकों के रूप में की जाती है। वे नियमित निरीक्षण करते हैं और यदि कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होने अथवा कम भुगतान होने से संबंधित मामला सामने आता है तो इन तंत्रों के अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी के समक्ष दावा मामले दायर करते हुए तत्काल कार्रवाई करते हैं और अन्य उल्लंघनों हेतु न्यायालय में अभियोजन दायर करते हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के उल्लंघन से संबंधित पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के आंकड़े अनुबंध पर हैं।

* *****

अनुबंध

दिनांक 12.03.2018 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2649 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948

क्रम संख्या	**विवरण**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक)**
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	6582	9803	9151	7380
2	पायी गई अनियमितताओं की संख्या	68747	75938	61689	62304
3	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	87809	46467	53255	28884
4	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	3774	1549	2321	1130
5	दोषिसिद्धियों की संख्या	2782	1476	1951	1721

***